संख्या-3/2018/93/तीस-2-2018-2(14)/2008

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊ 17 मई, 2018**

विषय- दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त परिवहन निगम पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-990पे0से0/16-6844पे0से0/16 दिनांक 30.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/08-P&PW(A) दिनांक 06.04.2016 के क्रम में निर्गत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2016-सा-3-75/दस-2016/308/97, दिनांक 21.01.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016-सा-3-342/दस-2016-308/97 टी.सी. दिनांक 05.07.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों एवं उसमें उल्लिखित प्राविधानो के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय सुविधा प्राप्त पेंशनरों एवं निगम पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किये जाने की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नही होगा। पेंशन पुनरीक्षण के उपरान्त आने वाला समस्त व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-258/दस-2018 दिनांक-16 मई 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
ह0
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2018/93(1)/तीस-2-2018-2(14)/2008 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त सामान्य अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in